THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) Consequent on the agitation by the Khasi Students Union (KSU) about 7000 persons, mostly Nepalese, were rendered homeless. They were provided shelter in the relief camps in Meghalaya. As on August 9, 1987, the number of displaced persons staying in 12 relief camps is 4830.

(b) and (c) The State Government of Meghalaya have been advised to protect the life and property of non-tribals in Meghalaya and take steps for proper rehabilitation of the displaced persons and for creating confidence in them so as to enable them to return to their places of residence and business.

"एल" चिन्ह वाले "प्वाइन्ट वन बोर" के कारतूसों का आयात

3522. **श्रीमती वीणा वर्मा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने नेशनल राइफल एसोसियेशन आफ इंडिया को "एल" चिन्ह वाले "प्वाइंट वन बोर" के कारतूसों के आयात को मंजूरी दे दी है ; यदि हां, तो इस प्रकार आयात किए जाने वाले कारतूसों की संख्या कितनी है और इस प्रकार के कारतूसों के आयात पर कड़ा प्रतिबन्ध होने के बावजूद इस प्रकार की अनुमति दिए जाने के क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या सरकार को ऐसी शिकायतें मिली हैं कि इन कारतूसों को अपराधियों और उग्रवादियों को ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) (क) विदेशों से शस्त्र और गोलाबारूद आयात करने पर 13-11-1986 को प्रतिबन्ध लगाने के बाद, केन्द्र सरकार, ने नेशनल राईफल एसोसियेशन आफ इंडिया, नई दिल्ली को "एल" मार्क प्वाइंट वन बोर कारतूसों का आयात करने के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई है । तथापि, एन० आर० ए० आई० को विदेशों से कुछ प्रकार के कारतूसों का आयात करने के लिए 9-5-1986 और 4-11-86 को एक सी० सी० पी० और एक आयात लाइसेंस दिया गया था बशर्ते कि इन कारतूसों का प्रयोग पूर्ण रूप से उनके द्वारा किया जाए और न बेचा जाए या अन्यथा निपटान किया जाये ।

(ख) जी हां, श्रीमान ।

एक शिकायत प्राप्त हुई है जिसमें आरोप लगाया गया है कि एन० आर० आई० इन कारतूसों को निशानेबाजी के सदस्यों से भिन्न को बेच रहा है ।

Joint memorandum on the affairs of ITDC submitted by M.Ps.

3532. SHRI K. GOPALAN:
SHRI V. GOPALSAMY:

Will the Minister of TOURISM be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a joint memorandum on the affairs of ITDC was submitted to Government by some M.Ps. in the recent past;

(b) if so, when was it submitted; and

(c) by when Government propose to take action thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION AND THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TOURISM (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) to (c) A letter dated 5-12-1986 was received from Shri V. Gopalsamy, Member of Parliament enclosing a memorandum dated 27-11-1986 signed by 17 MPs. The main issue raised in the memorandum was that the pending industrial disputes specifically those of the erstwhile Akbar Hotel, New Delhi be resolved mutually. As a policy ITDC management endeavours to resolve all disputes across the table.